

NOTICE FOR ONLINE REGISTRATION OF **COMPETENCY CERTIFICATES GRANTED BY** **BME ON EXEMPTION BASIS**

It is to inform to all the candidates who possess Degree in Mining Engineering, Diploma in Mining or Mining engineering or Mine Surveying or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government and eligible for possessing Certificate of Competency on exemption basis under the Coal Mines Regulations, 2017, the Metalliferous Mines Regulations, 1961 and the Mines Act, 1952 may apply their application only through link provided for online Registration in DGMS website. **Link will be provided shortly on the official website of DGMS.**

Please note that application sent in offline mode either through post or other means i.e. Post/Couriers etc. shall not be entertained by this Directorate on or after 15.09.2023 for grant of Certificate of Competency on exemption basis under the Coal Mines Regulations, 2017, the Metalliferous Mines Regulations, 1961 and the Mines Act, 1952 on exemption basis other than online mode.

The Certificate of Competency on Exemption basis are as follows:

- i. The Coal Mines Regulations, 2017 - Second Class Manager's Certificate- Exemption (Restricted/ Un-restricted), Surveyor's Certificate – Exemption (Restricted/Un-restricted) & Overman's Certificate – Exemption (Restricted/Un-restricted)
- ii. The Metalliferous Mines Regulations, 1961 - Second Class Manager's Certificate - Exemption (Restricted/ Un-restricted), Surveyor's Certificate – Exemption (Restricted/Un-restricted) & Foreman's Certificate – Exemption (Restricted/Un-restricted)
- iii. The Mines Act, 1952 - Gas Testing Certificate of Competency- Exemption

Note: Instructions to apply application in online mode on Exemption basis shall be provided in the registration portal on Exemption basis.

बी.एम.ई द्वारा छूट के आधार पर निर्गत किए जाने वाला सक्षमता प्रमाण-पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सूचना

ऐसे सभी अभियर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिनके पास खनन इंजीनियरिंग में डिग्री, खनन या खनन इंजीनियरिंग या खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता है और कोयला खान विनियम, 2017, धात्विक खान विनियम, 1961 और खान अधिनियम, 1952 के तहत छूट के आधार पर सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता रखते हैं, ऐसे अभियर्थी अपना आवेदन डीजीएमएस वेबसाइट में दिए गए लिंक पर ही ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। लिंक शीघ्र ही डीजीएमएस के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि कोयला खान विनियम, 2017, धातुमय खान विनियम, 1961 और खान अधिनियम, 1952 तहत छूट के आधार पर सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए 15.09.2023 को या उसके बाद ऑफ़लाइन माध्यम यानी डाक या पोस्ट/कूरियर आदि से भेजे गए आवेदन पर इस निदेशालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

छूट के आधार पर सक्षमता प्रमाणपत्र इस प्रकार हैं:

- i. कोयला खान विनियम, 2017 - द्वितीय श्रेणी प्रबंधक प्रमाण-पत्र- छूट (सीमित /असीमित), सर्वेक्षक प्रमाणपत्र- छूट (सीमित /असीमित) और ओवरमैन प्रमाणपत्र - छूट (सीमित /असीमित)।
- ii. धात्विक खान विनियम, 1961 - द्वितीय श्रेणी प्रबंधक प्रमाण-पत्र - छूट (सीमित /असीमित), सर्वेक्षक का प्रमाणपत्र - छूट सीमित /असीमित) और फोरमैन प्रमाणपत्र - छूट (सीमित /असीमित)।
- iii. खान अधिनियम, 1952 - गैस परीक्षण सक्षमता प्रमाण-पत्र- छूट।

नोट: छूट के आधार पर ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के निर्देश पंजीकरण पोर्टल में प्रदान किए जाएंगे।